महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

वित्त–समिति की चतुर्थ (08/2023) बैठक का कार्यवृत्तः

नवस्थापित महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की वित्त–समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 25.08.2023 मा0 कुलपति जी की अध्यक्षता में डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ स्थित कैम्प कार्यालय में पूर्वाह्न 11:30 बजे आहूत की गयी। बैठक में अधोलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

क्र0स0	अधिकारी का पदनाम व नाम	पद
01	मा0 कुलपति, प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा	अध्यक्ष
02.	संयुक्त निदेशक पेंशन, आजमगढ़ मण्डल, श्री जगनारायण झा	सदस्य, प्रतिनिधि वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन
03	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी, डॉ0 बृज किशोर त्रिपाठी	सदस्य, प्रतिनिधि उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
04	कुलसचिव, श्री विशेश्वर प्रसाद	सदस्य
05.	प्रो0 मृदुल कुमार गुप्ता, गणित विभाग, चौ0 चरण सिंह वि0वि0, मेरठ	कार्यपरिषद् द्वारा नामित सदस्य (आनलाइन उपस्थित)
06.	वित्त अधिकारी, श्री केश लाल	सदस्य सचिव

मा0 कुलपति जी की अनुमति से वित्त अधिकारी ने समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की।

मद सं0 1– वित्त समिति की पिछली बैठक दिनांक 27 मार्च 2023 में लिए गए निर्णयों का सम्पुष्टीकरण–

निर्णय :पिछली बैठक में लिए गये निर्णयों को वित्त समिति के समक्ष संपुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया। समुचित विचारोपरान्त मद सं0 08 एवं मद सं0 09 में निम्नवत संशोधन के साथ पिछली वित्त समिति की बैठक के कार्यवृत्त की सर्वसम्मति से पृष्टि की गई । मद सं0 8 एवं 9 को संयुक्त करके निम्नवत संशोधन किया गया।

वि0 वि0 द्वारा आयोजित किये जाने वाले अतिथि/विशेष व्याख्यान अथवा शैक्षणिक विभागों में अतिथि प्रवक्ता के प्रति घंटे पारिश्रमिक निर्धारण के सम्बन्ध में यू0जी0सी0/उ0प्र0 शासनादेश में उल्लिखित दरों का पालन किया जाए।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

मद सं. 2– विश्वविद्यालय परिसर में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु शुल्क, पुरूष एवं महिला छात्रावासों हेतु शुल्क तथा संविदा शिक्षकों/शिक्षण सहायकों/टीचिंग असिस्टेंट व अतिथि वक्ताओं हेतु वेतन/मानदेय के निर्धारण के सम्बन्ध में विचार।

सूच्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2023–24 से विभिन्न पाठयक्रमों का संचालन प्रारम्भ होना है। उक्त हेतु शुल्क, वेतन/मानदेय निर्धारण के लिए मा0 कुलपति जी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। उक्त समिति की आख्या प्राप्त हो गयी है। अतः शुल्क निर्धारण, वेतन/मानदेय निर्धारण एवं विभिन्न ऑनलाइन प्रमाणपत्रों के निर्गमन हेतु शुल्क के सम्बन्ध में समिति की आख्या के साथ प्रकरण विचारार्थ एवं अनुमादनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः सम्यक विचारोंपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रपत्रों हेतु शुल्क निर्धारण समिति द्वारा प्रस्तुत शुल्क में निम्नवत संशोधन कर अनुमोदित किया गया है–

सारणी के क्रम सं0 1 प्रमाण पत्र (उपाधि) निर्गत करने हेतु शुल्क रू0 400.00

सारणी के क्रम सं0 2 प्रमाण पत्र (उपाधि) की द्वितीय प्रति हेतु शुल्क रू0 600.00

सारणी के क्रम सं0 6 द्वितीय अंक पत्र/संशोधित अंक पत्र (डुप्लीकेट अंक पत्र) हेतु शुल्क रू0 200

सारणी के क्रम सं0 7 प्रमाण पत्रों और उपाधियों का सत्यापन शुल्क

(i) एडेड/प्राइवेट संस्था के लिए रू0 500 प्रति अंक पत्र

(ii) राजकीय संस्था हेतु निःशुल्क ।

सारणी के क्रम सं0 9 जनसूचना के माध्यम सें उत्तर पुस्तिका अवलोकन हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्राओं को उत्तर पुस्तिका की स्कैन्ड कापी आनलाइन/ई–मेल के माध्यम से इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जाएगी कि उक्त का प्रयोग सम्बधिंत छात्र/छात्राओं के केवल व्यक्तिगत उपयोग हेतु होगा। किसी भी अन्य उद्देश्य अथवा विधिक उपयोग के लिए कदापि मान्य/अनुमन्य/स्वीकार्य नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

मद सं. 3– सत्र 2023–24 से नवस्थापित विश्वविद्यालय परिसर में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारम्भ करने के दृष्टिगत फर्नीचर, इन्टरनेट नेटवर्किंग, सी0सी0टी0वी0 एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था हेतु बजट प्राविधान किये जाने पर विचार–विमर्श।

सूच्य है कि शीघ्र ही नवस्थापित विश्वविद्यालय परिसर के भवनों में प्रशासनिक एवं शैक्षणिक गतिविधियाँ प्रारम्भ होनी है। उक्त हेतु फर्नीचर, इन्टरनेट नेटवर्किंग, सी0सी0टी0वी0 एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था हेतु प्राविधान कर बजट संशोधन किया गया है। प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति के समक्ष प्रस्तुत बजट के क्रम संख्या 120 पर फर्नीचर एवं उपस्कर, क्रम सं0 116 पर इन्टरनेट नेटवर्किंग, क्रम संख्या 114 पर उल्लिखित मद सी0सी0टी0वी0 के साथ इलेक्ट्रानिक निगरानी को जोडते हुए बजट प्राविधान को सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद सं. 4– वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु संशोधित बजट पारित किए जाने पर विचार।

सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 का वास्तविक बजट एवं 2023–24 का अनुमानित बजट विषय सूची के पृष्ठ संख्या 25–36 पर संलग्न की गयी है। प्रकरण समिति के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः समिति के समक्ष प्रस्तुत बजट के क्रम संख्या 105 अन्य विविध व्यय मद के साथ वाह्य सुरक्षा एजेन्सी, विज्ञापन एवं वाहन किराया को जोडते हुए समस्त बजट प्राविधान को सम्यक विचारोंपरान्त वर्ष 2023–24 के संशोधित अनुमानित बजट को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

अन्य मद– मा0 कुलपति जी की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार ।

निर्णयः सम्यक् विचारोपरान्त पुस्तकालय नीति–निर्धारण समिति द्वारा महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालय हेतु संस्तुत नीति–निर्धारण आख्या/संस्तुति को यथावत सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। समिति की आख्या संलग्न है।

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

बैठक के अन्त में वित्त अधिकारी द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं उपस्थित सदस्यों का आभार प्रकट करतें हुए मा0 अध्यक्ष जी की अनुमति से बैठक समाप्त की गयी।

(केश लाल)
वित्त अधिकारी / सदस्य सचिव
वित्त समिति

(प्रो0 प्रदीप कुमार शर्मा)
कुलपति / अध्यक्ष
वित्त समिति

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner